

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/वि01-1153/2024 382  
सेवा में,

/पटना, दिनांक :- 16/02/2026

कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी एवं झंझारपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-36 के (i) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0115-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215017890115 विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य मद में ₹555.80 लाख एवं (ii) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0120-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215017960120 विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य मद में ₹86.38347 लाख अर्थात् कुल ₹ 642.18347 (छः करोड़ बयालीस लाख अठारह हजार तीन सौ सैंतालीस रूपये) मात्र का आवंटन।

आदेश- संलग्न आवंटन विवरणी (परिशिष्ट-क) के स्तंभ-9 में अंकित अधियाचना पत्रों के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित प्रमंडलों को विपत्र कोड-36-4215017890115 अंतर्गत स्तंभ-05 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹555.80 लाख एवं विपत्र कोड-36-4215017960120 अंतर्गत स्तंभ-06 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹86.38347 लाख अर्थात् कुल ₹ 642.18347 (छः करोड़ बयालीस लाख अठारह हजार तीन सौ सैंतालीस रूपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है।

- यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जाएगा।
- यह व्यय माँग संख्या-36 के (i) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0115-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215017890115 विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य मद एवं (ii) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0120-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215017960120 विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य मद के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- “यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-235/वि0, दिनांक-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जाएगा।
- यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से आवश्यक समाविष्ट होनी चाहिए।
- स्वीकृत्यादेशवार आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। स्वीकृत्यादेशवार आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी स्वीकृत्यादेशवार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाए।

8. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए।
9. उप आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। भली भाँति जाँच कर वित्तीय नियमों के अनुरूप निकासी एवं व्ययन की जाय।
10. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

*शंकर*  
14/1/26

(दया शंकर प्रसाद)  
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

*अभय*  
14-02-26

(अभय कुमार सिंह)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक :-6/वि01-1153/2024 382(मा0)

/पटना, दिनांक :- 16/02/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव कोषांग/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव कोषांग (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियंता (उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार)/ बजट पदाधिकारी/ संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/ कार्यपालक अभियंता (मो-02)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, परियोजना प्रमंडल संख्या-2/आ0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06 एवं 04, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

*शंकर*  
14/1/26

(दया शंकर प्रसाद)  
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

*अभय*  
14-02-26

(अभय कुमार सिंह)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

